बालिकाओं को संरक्षण

374. **श्री एस० एस० सुरजेवालाः**
श्री अजीत जोगीः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गरीब बालिकाओं की सुरक्षा तथा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इस योजनाओं की प्रभावकारिता का कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बालिकाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने में कोई सफलता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) देश में निर्धन लड़कियों की सुरक्षा और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और स्कीमों की मुख्य विशेषताएं हैं उनके साथ जीवन-पर्यन्त होने वाले भेदभाव को समाप्त करना, उनके दर्जे में सुधार करके उनके प्रति सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाना, सभी क्षेत्रों में महिला-पुरुष भेदभाव को समाप्त करना, रोज़गार और उत्पादन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, आयोत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देना, अन्य बातों के साथ-साथ छोटे उद्यमों के विकास के लिए बचत और ऋण संबंधी गतिविधियों के लिए महिलाओं में स्व-सहायता दलों के निर्माण को बढ़ावा देना, लड़कियों और महिलाओं की समग्र शक्ति-सम्पन्नता तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए समर्थन सेवाओं का प्रावधान।

(ख) और (ग) योजनाओं और स्कीमों का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इनका प्रबोधन किया जाता है और योजनाओं की विषय वस्तु तथा सेवाओं में सुधार के लिए समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) और (ङ) शिशु मृत्यु दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, साक्षरता, स्कूलों में नामांकन और पढ़ाई जारी रखने, कार्य सहभागिता दर, कार्यबल में महिला सह-भागिता, विवाह के समय औसत आयु आदि में लड़के और लड़कियों के बीच अन्तर को कम करके अनेक क्षेत्रों में लड़कियों के स्तर में सुधार किया गया है। तथापि, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव अभी भी, किसी न किसी रूप में विद्यमान है और सरकार इसके समाधान के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।

सुप्रसिद्ध लेखकों को सहायता

375. **श्री अजीत जोगीः**
श्री एस० एस० सुरजेवालाः

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पुराने प्रमुख लेखकों को, जो फिलहाल अभावग्रस्त जीवन-यापन कर रहे हैं, सहायता देने हेतु कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और किन-किन लेखकों को सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) जी, हां।

(ख) साहित्य, कलाओं, एवं जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे सुविख्यात व्यक्तियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम है।

इस स्कीम के अंतर्गत लेखक या उसके आश्रित सहित कलाकार को 1500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों की सूची विवरण में दी गयी है।

विवरण

पेंशन प्राप्त कर रहे लेखकों की सूची

1. श्री अमर कांत
2. श्री मार्कंडेय
3. श्री कृष्णवत्तम
4. स्वामी रामानंद
5. श्री कडकांची पप्पिया
6. श्री नागार्जुन (वैद्यनाम मिश्र)
7. डा० सी० आर० शर्मा
8. श्री ई० नीलकंटन नायर
9. डा० सच्चिदानंद राउत-रॉय
10. श्री गौरी शंकर गुप्ता
11. श्री दाउद अख्तर (कांबड़ी)
12. श्री चक्रधर राउत
13. डा० ई० आर० नयनार
14. पंडित उपेंद्रनाथ होटा
15. श्री हीरा लाल नंदी